

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या-07 / 2017

आदेश दिनांक:-

15-05-2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

:— श्री रवि शंकर शर्मा

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी

:— श्री डी.के.गर्ग

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या -18817 के द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि आदेश दिनांक 06.04.2018 की पालना हेतु दिए गए एक माह के समय को विस्तारित किया जावे ।

इस प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी श्री रवि शंकर का कथन है कि प्रार्थी प्राईवेट रूप से बहीखातों का कार्य कर बमुश्किल 7000/- रुपये मासिक कमाता है । अतः वह अपनी अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आदेश दिनांक 06.04.2018 की पालना में 50,000/- रुपए निश्चित समयावधि में जमा कराने में असमर्थ रहा है । उसने इस संबंध में ऋण प्राप्त करने का भी प्रयास किया था लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका । अतः इन तथ्यों व परिस्थितियों में प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त राशि जमा कराने हेतु तीन माह का समय और प्रदान किया जावे ।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी श्री डी.के.गर्ग ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.04.2018 के अनुसार एक माह में केवल 50,000/- रुपये जमा कराने थे । यह राशि इतनी बड़ी नहीं है जिसे एक माह में जमा नहीं कराया जा सकता हो । अपीलार्थी ने बनावटी आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व आदेश दिनांक 06.04.2018 की जानबूझकर पालना नहीं की है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

दोनों अधिवक्तागण के कथनों पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया था:—

“ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों पर विचार करने के बाद व विशेष रूप से यह देखते हुए कि प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरुद्ध आक्षेपित डिक्री धन के संदाय की है, आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी इस आदेश की तिथि से एक माह में 50,000/— रुपये विचारण न्यायालय में जमा करा दें तो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2016 के निष्पादन की कार्यवाही इस अपील के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगी। परन्तु यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा इसकी पालना नहीं की जाती है तो प्रत्यर्थीगण/वादीगण आक्षेपित डिक्री का निष्पादन कराने को स्वतंत्र होंगे। ”

प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रार्थी द्वारा वर्णित किए गए हैं वे शपथपत्र से समर्थित हैं जिनका कोई खण्डन प्रत्यर्थी की ओर से प्रति शपथपत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को गलत माने जाने के कोई आधार व कारण नहीं हैं ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 06.04.2018 की पालना में 25,000/— रुपये आज से एक सप्ताह में व शेष 25,000/— रुपये दिनांक 10.07.2018 को या इससे पूर्व जमा करा सकेगा ।

प्रार्थना पत्र संख्या 18817 इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)